निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 55 / 2024
दायरा दिनांकः–01.10.2024
निर्णय दिनांकः– 11-12-24

उनवान

भूर सिंह आयु 70 वर्ष पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी खेरखेडा नाथूराम तहसील छबडा हाल मुकाम जय हिन्द नगर 1 पुलिस लाईन कोटा (राज0)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 11-12-24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री मुकेश शर्मा – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके माल ग्राम खेरखेड़ानाथूराम में खाता नं. 46 खसरा नं 42 रकबा 0.3035 हेक्टेयर, खसरा नं. 43 रकबा 0.7840 हेक्टेयर, खसरा नं. 68 रकबा 0.4805 हेक्टेयर, खसरा नं. 69 रकबा 0.0253 हेक्टेयर किता 4 कुल रकबा 1.5933 हेक्टेयर जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/10 है. इसी प्रकार खाता संख्या 19 खसरा नं. 11 रकबा 0.9610 हैक्टेयर, खसरा नं. 85 रकबा 3.6797 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 4.6407 हैक्टेयर है, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/10 कुल अवस्थित है, जिसमें भूरा सिंह पुत्र भंवरसिंह के नाम खातेदारी जमाबन्दी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता श्री भंवरसिंह का स्वर्गवास हो जाने के बाद जब भंवरसिंह के वारिसान के नाम फौती इंतकाल खोला गया तो हल्का पटवारी द्वारा सहवन से प्रार्थी का भूर सिंह की जगह भूरासिंह नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम भूरसिंह है। प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज सरकारी रिकोर्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता, परिचय–पत्र सभी में भूर सिंह नाम दर्ज है, जो वास्तविक नाम है. जबकि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम भूरासिंह पुत्र भंवरसिंह नाम दर्ज है जो अशुद्ध नाम है। जिसके कारण प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओ का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रार्थी ने कई बार राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों व हल्का पटवारी व तहसीलदार साहब से उक्त प्रार्थना पत्र की मंद नं. 1 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का नाम भूरासिंह जो कि अशुद्ध नाम है कि जगह वास्तविक शुद्ध नाम भूरसिंह को दर्ज करने को कहा तो सभी ने आनाकानी कर मना कर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

दिया और श्रीमान न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु हिदायत देने के कारण यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भूरासिंह पुत्र भंवरसिंह के स्थान पर भूर सिंह पुत्र भवरसिंह नाम दर्ज किया जाना अतिआवश्यक है। प्रार्थी के खातेदारी की भूमि ग्राम खेरखेडानाथूराम तहसील छबड़ा में स्थित है व प्रार्थी खेरखेड़ानाथूराम का निवासी होने से श्रीमान न्यायालय को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडा नाथूराम सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 19 नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडा नाथूराम सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 46 फोटो प्रति आधार कार्ड फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र, फोटो प्रति पेन कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खेरखेडा नाथूराम तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/10 हिस्सा है जिसमें भूरसिंह पुत्र भंवरसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है प्रार्थी के पिता भंवरसिंह का स्वर्गवास हो चुका है भंवरसिंह का फोती नामान्तरण उनके वारिसान के नाम खोलतें समय प्रार्थी का नाम भूरसिंह के स्थान पर भूरासिंह दर्ज हो गया है जबकि वास्तविक नाम भूरसिंह है प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजों में भूरसिंह है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भूरासिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज हो गया ळै जिसके कारण प्रार्थी को राज्य सरकार से मिलनें वाले सभी लाभों से वंचित होना पड रहा है प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों के आधार पर भूरासिंह के स्थान पर भूरसिंह दज्र किया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडा नाथूराम तहसील छबडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 19 में भूरासिंह पुत्र भंवरसिंह दज्र है इसी प्रकार नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडा नाथूराम सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 46 में भर भूरासिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज है प्रार्थी के द्वारा अन्य दस्तावेज आधार कार्ड पेप कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, में प्रार्थी का नाम भूरसिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज है प्रार्थी के नाम की जॉच रिपोर्ट तहसीलदार छबडा से मंगवाई गई। तहसीलदार छबडा ने जॉच रिपोर्ट में बताया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम खेरखेडा नाथूराम की जमाबन्दी खाता संख्या 46 व 19 में खातेदार भूरासिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत सा0देह दर्ज है ग्राम में मौके पर उपस्थित ग्राम वासियान से उक्त खातेदार के नाम की जानकारी की गई। ग्राम वासियान ने बताया कि भुरासिंह व भूरसिंह जाति राजपूत सा0देह एक ही व्यक्ति के नाम है ग्राम में उक्त व्यक्ति को दोनो नामों से जाना जाता है प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में भुरासिंह नाम दर्ज है प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में भूरसिंह दर्ज है मुताबिक ग्राम वासियान के भूरासिंह व भूरसिंह एक ही व्यक्ति के नाम है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी का सही नाम भूरसिंह है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम खेरखेडा नाथूराम तहसील छबडा के खसरा नम्बर 11 रकबा 0.9610 है0 खसरा नम्बर 85 रकबा 3.6797 है0 खसरा नम्बर 42 रकबा 0.3035 है0 खसरा नम्बर 43 रकबा 0.7840 है0 खसरा नम्बर 68 रकबा 0.4805 है0 खसरा नम्बर 69 रकबा 0.0253 है0 में प्रार्थी का नाम भूरासिंह के स्थान पर भूरसिंह दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)